# 2020-21 चीनी मौसम तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संचयी गन्ना मूल्य बकाया

2020-21 चीनी मौसम (30 सितंबर, 2021) के अंत तक उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक संचयी गन्ना मूल्य बकाया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) द्वारा अपनी 'गन्ने की मूल्य नीति: 2022-23 चीनी मौसम' में संकलित आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 तक, कुल गन्ना मूल्य बकाया 8,616 करोड़ रुपये था। इसमें से 2020-21 चीनी मौसम का बकाया 6,258 करोड़ रुपये है, जो कि 2019-20 मौसम के बकाया 10,342 करोड़ रुपये से काफी कम है।

सी ए सी पी ने उल्लेख किया कि सभी भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश का कुल गन्ना मूल्य बकाया हिस्सा 54.4% (4,688 करोड़ रुपये) है। उच्च संचयी गन्ना बकाया वाले अन्य राज्यों में तमिलनाडु का बकाया 1,644 करोड़ रुपये (19.1%), गुजरात का 844 करोड़ रुपये (9.8%) और महाराष्ट्र का 542 करोड़ रुपये (6.3%) है।

सी ए सी पी ने कहा है कि घरेलू और विश्व बाज़ारों में अधिक चीनी उत्पादन और कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 सालों में भारत में गन्ने का बकाया बहुत बढ़ा, जो किसानों और चीनी मिलों के हित में नहीं है क्योंकि इससे दोनों में विश्वास की कमी पैदा होती है।

2022-23 के लिए मूल्य निर्धारण नीति में, आयोग ने भारत सरकार को फिर से दोहराया है कि चीनी मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए

उचित और लाभकारी मूल्य (एफ़ आर पी) का पालन करना चाहिए। एफ़ आर पी का निर्धारण सी ए सी पी की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है।

जहां भारत सरकार किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले एफ़ आर पी की घोषणा करती है, वहीं देश के कई राज्यों में गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली दरों को निर्धारित करने के लिए अपना तंत्र है। इसे राज्य विवेचित मूल्य (एस ए पी) कहते हैं।

अपनी 'गन्ने की मूल्य नीतिः 2022-23 चीनी मौसम' में सी ए सी पी ने फिर से अपनी सिफ़ारिश दोहराई है कि राज्यों को एस ए पी तय करना बंद कर देना चाहिए। आयोग ने कहा कि चार राज्य सरकारें — हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश — एस ए पी की घोषणा करके गन्ने के मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप करती हैं, जो काफी हद तक एफ़ आर पी से अधिक है।

"चूंकि चीनी मिलों को एस ए पी का भुगतान करना पड़ता है, जो कि एफ़ आर पी से अधिक है, इस कारण किसानों का गन्ना मूल्य बकाया बढ़ जाता है, खासकर जब चीनी की कीमतें कम होती हैं। चीनी वसूली दर में वृद्धि के कारण 2020-21 में उत्तर प्रदेश में एस ए पी और एफ़ आर पी के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। हालांकि, 2021-22 के दौरान, यू पी सरकार द्वारा तीनों श्रेणियों के लिए एस ए पी में बढ़ोतरी की हालिया घोषणा के साथ, एस ए पी और एफ़ आरपी  के बीच का अंतर फिर से बढ़ गया है," यह 2022-23 के लिए मूल्य निर्धारण नीति में कहा गया है।

**गन्ना मूल्य बकाया का विवरण**

| राज्य | 2018-19 तक (करोड़ रुपये) | 2019-20 तक (करोड़ रुपये) | 2020-21* (करोड़ रुपये) | संचयी बकाया (करोड़ रुपये) | संचयी बकाया (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 42 | 0 | 4,646 | 4,688 | 54.4% |
| गुजरात | 36 | 0 | 808 | 844 | 9.8% |
| महाराष्ट्र | 317 | 0 | 225 | 542 | 6.3% |
| तमिलनाडु | 1,453 | 0 | 191 | 1,644 | 19.1% |
| आंध्र प्रदेश | 38 | 43 | 76 | 157 | 1.8% |
| कर्नाटक | 38 | 6 | 64 | 108 | 1.3% |
| छत्तीसगढ | 8 | 0 | 64 | 72 | 0.8% |
| हरयाणा | 0 | 0 | 63 | 63 | 0.7% |
| उत्तराखंड | 205 | 0 | 52 | 257 | 3% |
| पंजाब | 0 | 43 | 52 | 95 | 1.1% |
| तेलंगाना | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.15 |
| बिहार | 89 | 39 | 5 | 133 | 1.5% |
| अन्य राज्य | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| अखिल भारत | 2,228 | 131 | 6,258 | 8,616 | 100% |

**टिप्पणी:** *चीनी मौसम 2020-21 के लिए 30 सितंबर, 2021 तक

**स्रोत:** चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय